भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3069

दिनांक 13 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

बिहार में वन स्टॉप सेंटर

3069. श्री सुनील कुमार:

क्या **महिला एवं बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बिहार में आज की स्थिति के अनुसार कितने वन स्टॉप सेंटर कार्यशील हैं और इनकी स्थापना हेतु बजटीय मानदंड क्या हैं;

(ख) उक्त योजना बिहार के वाल्मिकी नगर में कार्यान्वित की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त केंद्र की समीक्षा की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क): वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) व्यापक मिशन शक्ति के अंतर्गत संबल वर्टिकल का एक घटक है। यह निजी और सार्वजनिक दोनों स्थानों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं और संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही स्थान पर एकीकृत समर्थन और सहायता प्रदान करता है। यह जरूरतमंद महिलाओं को चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता और सलाह, अस्थायी आश्रय, पुलिस सहायता और मनोसामाजिक परामर्श जैसी सेवाएं प्रदान करता है।

मंत्रालय ने बिहार राज्य के 38 जिलों में 50 वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) को मंजूरी दी है। अनुमोदित 50 ओएससी में से 39 ओएससी क्रियाशील हैं। केन्द्र सरकार ओएससी की स्थापना के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 100% वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

(ख): वर्तमान में पश्चिम चंपारण जिले में दो ओएससी स्वीकृत हैं जिनमें से एक ओएससी क्रियाशील है जो वाल्मीकि नगर सहित पूरे जिले को सेवाएं प्रदान करता है।

(ग) और (घ): वर्ष में एक बार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ओएससी के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड की बैठक के दौरान समग्र कार्यकलापों की प्रगति की निगरानी और उद्देश्यों की प्राप्ति की स्थिति की समीक्षा करता है। इसके अलावा, मंत्रालय के अधिकारी बैठकों, वीडियो कान्फ्रेंसिंग और समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का क्षेत्रीय दौरा करके योजना की समीक्षा करते हैं।

*****